प्रकाशन हेतु अनुमोदित

2010:CGHC:12000

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्तिगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 176/1993

राजकुमार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार हेतु निर्णय

हस्ताक्षरकर्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता
मै सहमत हूँ

हस्ताक्षरकर्ता/-
श्री राजीव गुप्ता
मुख्य न्यायाधिपति

दिनांक 16/11/2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करें।

हस्ताक्षरकर्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्तितगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 176/1993

अपीलार्थी :- राजकुमार, पिता सुबेराम राजपूत, उम्र लगभग 23 वर्ष,

निवासी उरकुरा, थाना खमतराई, जिला रायपुर।

बनाम

उत्तरवादी :- मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य),

द्वारा थाना खमतराई, जिला रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए कोई नहीं।

श्री अखिल मिश्रा, राज्य के लिए उप शासकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक-16/11/2010

निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा** के न्यायालय द्वारा सुनाया गया।

(1)यह अपील तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दांडिक प्रकरण संख्या 242/91 में पारित दिनांक 18 जनवरी, 1993 के निर्णय के विरुद्ध है।

(2)इस आक्षेपित निर्णय के तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया गया है।

(3)संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं:-

गंगा बाई (अ.सा.-5) मृतक चतुर बहादुर की पत्नी है। अभियोग की तारीख से तीन-चार महीने पहले, गंगा बाई चतुर बहादुर का घर छोड़कर अपीलार्थी के साथ उसकी पत्नी के रूप में रहने लगी। इस संबंध में गंगा बाई (अ.सा.-5) और अपीलार्थी द्वारा दो हलफनामे भी तैयार किए गए थे। ये हलफनामे प्रदर्श- पी/4 और पी/5 के हैं। 3-4 महीने बाद, गंगा बाई मृतक के घर लौट आई। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 4.3.91 को अपीलार्थी मृतक के घर आया और उन हलफनामों की मांग की। मृतक और गंगा बाई ने अपीलार्थी को हलफनामा देने से इंकार कर दिया। आरोप यह है कि जब मृतक और गंगा बाई उरला जा रहे थे, तो अपीलार्थी वहाँ आया और मृतक पर चाकू से हमला किया। मृतक को कई चोटें आईं, जिनमें से छाती और खोपड़ी के पिछले हिस्से पर लगी चोटें घातक थीं। छाती की चोट के अनुरूप उस तरफ का फेफड़ा भी घायल हो गया। खोपड़ी की चोट के अनुरूप

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खोपड़ी की रीढ़ की हड्डी काटी गई थी। कुल मिलाकर, अभियोजन पक्ष ने 8 प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला दिया, जिनके नाम थे: गुकुल (अ.सा.-1), कुंवरमती (अ.सा.-3), गंगा बाई (अ.सा.-5), लोकूराम (अ.सा.-9), विमेश कुमारी (अ.सा.-10), सुनीता बाई (अ.सा.-11), सुखबती बाई (अ.सा.-12) और तीरथ बहादुर (अ.सा.-13)। उपरोक्त गवाहों में से गंगा बाई (अ.सा.-5) और विमलेश कुमारी (अ.सा.-10 - मृतक की पुत्री) को छोड़कर, अन्य सभी गवाह अपने बयान से मुकर गए और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गंगा बाई (अ.सा.-5) ने स्वीकार किया कि अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था और सबसे पहले मृतक ने अपीलार्थी के सिर पर भाले से हमला किया, फिर अपीलार्थी द्वारा दी गई दलील स्वीकार नहीं की गई और अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और उपरोक्तानुसार सजा सुनाई गई। अपीलार्थी ने मृतक पर चाकू से भी हमला किया। अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील दी, लेकिन अपीलार्थी द्वारा दी गई उक्त दलील स्वीकार नहीं की गई और अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया और उपरोक्तानुसार सजा सुनाई गई।

(4) अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अपने बयान में निजी बचाव के अधिकार का तर्क

दिया और यह दलील दी कि मृतक ने उस पर भाले से हमला किया जो उसके सिर पर लगा। उसे लगी चोट पर 11 टांके लगाए गए और जेल में उसका इलाज किया गया। अपीलार्थी ने बचाव पक्ष के दो गवाहों, डॉ. एस.के. अडवानी (ब.सा.-1) और मिर्ज़ा साहिद बेग (ब.सा.-2) से भी पूछताछ की है।

(5)डॉ. एस.के. अडवानी (ब.सा.-1) ने गवाही दी कि जेल रजिस्टर (ओपीडी - प्रदर्श-डी/1) के अनुसार, अपीलार्थी का नाम उक्त रजिस्टर में दर्ज है। उन्होंने गवाही दी कि अपीलार्थी के घाव पर टाँके लगे थे और घाव पर 11 टाँके लगे थे और अपीलार्थी का इलाज डी.के. अस्पताल, रायपुर में हुआ था। अपीलार्थी का बाद में जेल अस्पताल में इलाज किया गया और दिनांक 11.3.91 को उसके टाँके हटा दिए गए। इस आशय की प्रविष्टि प्रदर्श-डी/2 है। मिर्ज़ा साहिद बेग (ब.सा.2) केंद्रीय जेल, रायपुर में सहायक जेलर थे। उन्होंने प्रदर्श-डी/3 की प्रविष्टियों को साबित किया और गवाही दी कि अपीलार्थी को घायल अवस्था में जेल लाया गया था। उसके सिर और हाथों पर चोटें आई थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6)अब हम निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के तर्क की विवेचना करेंगे।

(7)भारतीय दंड संहिता की धारा 96 में प्रावधान है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। आत्मरक्षा की दलील को स्थापित करने का भार अभियुक्त पर है और अभिलेख पर

उपलब्ध सामग्री के आधार पर उस तर्क के पक्ष में संभावनाओं की प्रबलता दर्शाने पर यह भार समाप्त हो जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत, शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, हमलावर की स्वैच्छिक मृत्यु या किसी अन्य क्षति तक विस्तारित है, यदि वह अपराध जो अधिकार के प्रयोग का कारण बनता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में वर्णित किसी भी प्रकार का हो। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी समय शुरू होता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, हालाँकि अपराध किया ही न गया हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक उचित आशंका न हो। दूसरे शब्दों में, यह अधिकार शरीर को खतरे की उचित आशंका के साथ-साथ जारी रहता है। इसलिए, यदि यह दावा किया जा रहा है कि अभियुक्त ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया है, तो उसे यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनसे यह उचित आशंका उत्पन्न हुई कि यदि अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता तो मृत्यु या गंभीर चोट पहुँच सकती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी को निजी बचाव का अधिकार उपलब्ध नहीं था। हम अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के संदर्भ में उक्त तर्क की जाँच करेंगे।

(9) गंगा बाई (अ.सा.-5) ने गवाही दी कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अपीलार्थी उनके घर आए और इस साक्षी को अपीलार्थी द्वारा पत्नी के रूप में रखने के संबंध में उनके द्वारा तैयार और शपथ-पत्रित दस्तावेज़ (दो हलफनामे) मांगे। अ.सा.-5 और मृतका दोनों ने इससे इनकार कर दिया। मृतका और गंगा बाई (अ.सा.-5) उस समय उरला जा रहे थे। अपीलार्थी रास्ते में आ गया और अपीलार्थी और मृतक के बीच झगड़ा शुरू हो गया। गंगा बाई (अ.सा.-5) ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की। लेकिन, मृतका ने सबसे पहले अपीलार्थी के सिर पर भाले से हमला किया। मुख्य परीक्षा में उन्होंने यही कहा। प्रतिपरीक्षण में, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मृतक के पास भाला था क्योंकि वह हमेशा अपने साथ भाला रखता था। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अपीलार्थी ने मृतक से कोई झगड़ा नहीं किया था, बल्कि उसने केवल कागजात मांगे थे। उसने आगे स्वीकार किया कि चूँकि मृतक अपीलार्थी से नाराज़ था, इसलिए उसने अपीलार्थी पर भाले से हमला किया और अपीलार्थी के सिर पर चोट आई। इस गवाह के साक्ष्य अपीलार्थी की इस तर्क का समर्थन करते हैं कि उसने निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मृतक पर हमला किया था। बचाव पक्ष के गवाहों के अनुसार, अपीलार्थी के सिर पर चोट लगी थी और उसकी चोट पर 11 टांके लगे थे और उसका इलाज रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अस्पताल में हुआ था। यह भी स्थापित होता है कि मृतक भाले से लैस था और उसने सबसे पहले अपीलार्थी पर हमला किया था। मामले के उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जब मृतक ने अपीलार्थी के सिर पर भाले से हमला किया और अपीलार्थी के सिर में चोट लगी, तो शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न हुई होगी और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी को निजी बचाव का अधिकार था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) अब हम इस बात की जाँच करेंगे कि क्या अपीलार्थी ने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अनुपातिक रूप से प्रयोग किया था या उसने मृतक की मृत्यु कारित करके विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण किया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कुछ प्रतिबंधों के अधीन है। प्रथम दृष्टया, यह अधिकार किसी भी मामले में, प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक से अधिक क्षति पहुँचाने तक विस्तारित नहीं होता है। अतः, यदि कोई व्यक्ति निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए, ऐसी स्थिति में मृत्यु कारित करता है जहाँ ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, तो वह धारा 300 भारतीय दंड संहिता के अपवाद 2 के अंतर्गत विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण करता है। अपवाद 2 के प्रवर्तन का प्रश्न केवल तभी उठता है जब कथित अपराधी निजी

प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण करता है, बशर्ते कि उसने पूर्वचिंतन के बिना किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की हो और मृतक की मृत्यु प्रतिरक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक से अधिक क्षति पहुँचाने के किसी इरादे के बिना हुई हो।

(11) वर्तमान मामले में, अपीलार्थी हलफनामे की मांग करने के लिए मृतक के घर गया था। अपीलार्थी और मृतक के बीच विवाद हुआ और गंगा बाई (अ.सा.-5) के अनुसार, मृतक ने पहले अपीलार्थी के सिर पर भाले से हमला किया और फिर अपीलार्थी ने मृतक पर चाकू से वार किए। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि अपीलार्थी किसी हथियार के साथ मृतक के घर गया था और घटनास्थल से भाला, खुखरी और चाकू जब्त किए गए थे। इससे पता चलता है कि अपीलार्थी का कार्य बिना किसी इरादे और तैयारी के था और अपीलार्थी को आत्मरक्षा का अधिकार था, लेकिन अपीलार्थी ने मृतक को और अधिक चोटें पहुँचाकर निश्चित रूप से इस अधिकार का अतिक्रमण किया, जबकि वास्तव में उसे मृतक को एक या दो चोटें पहुँचाकर अपनी रक्षा करने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं थी, और इसलिए अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 2 के दायरे में आता है। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी होनेदोषमुक्त का दावा नहीं कर सकता। हालाँकि हत्या के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोप असफल हो जाएँगे, लेकिन अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के तहत दोषी के प्रति उत्तरदायी होगा।

(12) तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी गई दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। इसके बजाय, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-1 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे इस मामले में पहले ही बिताई गई अवधि, जो लगभग 4 वर्ष है, की सजा सुनाई जाती है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं और प्रतिभूतियां कोई हो तो उन्मोचित की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरकर्ता/-
मुख्य न्यायाधिपति

हस्ताक्षरकर्ता/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

"अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Nitesh Jain